

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती पत्रांक – 1830/ 12–1, मुनिकीरेती, दिनांक– 08/06/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। (FP/UK/ROAD/33094/2018)

सन्दर्भ :-महोदय,

ऑनलाईन इंगित किमयां दिनांक-04.02.2020।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है, जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

页0	आपत्ति	निराकरण
सं०		
	It appears from KML File that the earth cutting along proposed alignment from Diwarikhol to Garath village has already been done. Further, it is seen that the road along alternate alignment from another existing road also appears constructed. Hence, the Proposal dosen't appear to be justified. State Govt. may submit the justification/clarification in this regard.	बिन्दु संख्या—01 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत, कास्तकार एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार उक्त मोटर मार्ग को गड़थ गांव के अन्तर्गत स्थित मोल्ती तोक जिसमें 20 परिवार निवास करतें हैं, से जोड़ने की मांग की गयी है। उक्त तोक को के0एम0एल0 फाईल पर भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त वैकेल्पिक समरेखण में दिखने वाला मार्ग एक पैदल मार्ग है, जिसका निर्माण जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराया गया था। इस पगडन्डी पर ग्रेड अधिक होने एवं मोल्ती तोक से दूरी अधिक होने के कारण इस मार्ग को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्रामीणों का सहमति पत्र ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट—1 में एडिशनल कॉलम मे अपलोड किया गया है।
2	CA scheme for Rs. 18,22,724/- has been uploaded in additional document in Part-I but the CA scheme for RS. 22,05,490/- found uploaded in additional document in Part-II. Further, two CA scheme for Rs. 22,05,490/- and Rs 20,04,995/- found uploaded in the hard copy. State Govt. may clarify the	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० 18,22,724/— का प्राक्कलन ऑनलाईन पार्ट—1 में अपलोड किया गया है, जो कि वर्ष 2018—19 के लिए

	information.	किया गया है, जो कि वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित दरों के आधार पर तैयार किया गया है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० 22,05,490/– की धनराशि का प्राक्कलन Online Part –I and Part-II के additional document में upload कर दिया गया है।
3		मार्ग के समरेखण में आ रहे वृक्षों की गणना
	This is to be stated that the DFO has upload an estimate for Rs.31,62,000/- which is mentioned as wildlife conservation plan. But this is an estimate and not the wild life conservation plan. The wild life conservation plan should have been prepared by an expert taking into account the present scenarioa in the area the scenarioa after the construction of road assessment of impact the road on the wild life of the area and the mitigative measures to minimize the impact on the wildlife and the cost of mitigative measures. Therfore it apperers that the so called wild life conservation plan has been prepared without application of mind. State Govt. may do the needful in this regard.	आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5		बिन्दु संख्या–05 के कम में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी की SIR के साथ संलग्न रिपोर्ट के पैरा–4 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उक्त स्थल में पाये जाने वाले Rare/endangered/unique species of flora and fauna का विवरण लिखा गया है। Site Inspection Report को Part –II के additional document में upload कर दिया गया है।
6	DFO has raised 6 issues in his site inspection report uploaded at para 15 of part-II. But DFO should have taken measure to address the issues raised at his level and then forwarded the proposal to the higher authorities in complete manner. Further,	बिन्दु संख्या—06 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अपनी Site inspection report में दिये गये 06 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्याल में प्रेषित की गई है, जो कि पार्ट— I एवं पार्ट— II के

Additional documents में अपलोड कर दिया गया none of the higher authorities of the forest depatment/state Govt have given comments on these issues. State govt. may do the needful in this regard. बिन्दु संख्या-07 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त जो विकल्प प्रस्तावित किया गया वैकल्पिक संरेखण को ग्राम पंचायत की आपत्ति के है उस समरेखण पर मार्ग पूर्व से उपलब्ध प्रतीत होता है कारण, भू-वैज्ञानिक एवं तकनीकी, सामाजिक एवं अतः उस समरेखण को मुख्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत पर्यावरणीय दृष्टि से एवं अतिव्ययता के कारण निरस्त किया जा सकता था। साथ में यदि पूर्व में यह मार्ग किया गया है,जिसका पूर्ण विवरण प्रस्ताव में तुलनात्मक Voilation में निर्मित किया गया है तो उस की जानकारी विवरण में सम्मिलित है, जो कि पार्ट-I के Additional इस कार्यालय मे प्रेषित करें। documents में अपलोड कर दिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में यह मार्ग Voilation मे निर्मित नहीं किया गया है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

संख्या :-

प्रतिलिपि: - प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-9473 / 12-1, दिनांक-01.06.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांकित।

(जीवन चन्द्र जोशी) वन संरक्षक